

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

ज अदालत केसर उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)  
बनाम केसर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री/ श्रीमती <u>केसर</u> W/o <u>श्री कृपा मील</u></p> <p>निवासी- <u>घाघसा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>घाघसा</u> P.E. <u>देवी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....</p> <p><u>415</u> / <u>425</u> <u>0.2250</u> / <u>0.0850</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>0.3100</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>घाघसा (देवी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>415</u> / <u>425</u> <u>0.2250</u> / <u>0.0850</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>0.31</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षरे <u>प्रत्येक 100</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बीनू देवन) सहायक क्लर्क एंड उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>